कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक 32345-76........ / एम.सी / अराज / 5 / 2021 भोपाल, दिनांक 30 / 09 / 2021

/ / आदेश / /

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–2–20 / 2020 / 1 / 55 / दिनॉक 17.11.2020 एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 515 / स्था / अराज / 2020 दिनांक 22–05–2021 के तहत म0प्र0 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम 2018 द्वारा प्राप्त सह–चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरे जाने हेतु कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक 24952–55 / एमसी / अराज / 5 / 21 दिनांक 13.08.2021 के तहत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्स में उत्तीर्ण हुये छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्र एवं स्क्रूटनी में योग्य उम्मीदवारों को सीधी भर्ती से चयनित मेरिट सूची के आधार पर **निम्नलिखित योग्य उम्मीदवारों को** पैरामेडिकल स्टाफ के पद पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

पदनाम – रिफ्रेक्शनिस्ट, श्रेणी – अनारक्षित

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता / पति का नाम	जन्म तिथि	पता
01	ज्योति विश्वास	श्री विजेन विश्वास	19.09.1989	भोपाल

पदनाम – लैब–असिस्टेन्ट, श्रेणी – अनुसूचित जनजाति,

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता
01	विकास कनोजे	श्री शोभाराम कनोजे	02.05.1995	बड़वानी
02	गोविन्द डामोर	श्री मानसिंह डामोर	10.05.1994	झाबूआ
03	संतोष बघेल	श्री अजय सिंह बघेल	29.09.1996	धार
04	मुकेश भावस्कर	श्री संतोष भावस्कर	18.10.1984	धार

पदनाम – लैब–असिस्टेन्ट, श्रेणी – अनुसूचित जाति

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता
01	श्रुति शाक्य	श्री जी एस शाक्य	06.09.1998	भोपाल

पदनाम – लैब–असिस्टेन्ट, श्रेणी – अन्य पिछड़ा वर्ग

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता
01	युसूफ	श्री मंजूर मिंया	27.04.1998	सिहोर
02	वाहिद खान	श्री शफीक खान	04.06.1996	भोपाल
03	भावना राठौर	श्री लालाराम राठौर	03.08.1995	भोपाल

पदनाम – लैब–असिस्टेन्ट, श्रेणी – अनारक्षित

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता
01	शालिनी विधानी	श्री नारायण दास	30.06.1999	भोपाल
02	पूजा लिम्बाड़े	श्री बबन राव लिम्बाड़े	23.05.1995	भोपाल
03	सिमरन नन्हेटे	श्री राजू नन्हेटे	14.01.1994	भोपाल
04	रवि रघुवंशी	श्री काशीराम रघुवंशी	07.10.1998	विदिशा

पदनाम – लैब–असिस्टेन्ट, श्रेणी – आर्थिक रूप से कमजोर

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता
01	सोनिया बाथम	श्री मनमोहन बाथम	07.07.1995	भोपाल
02	अंकुश मिश्रा	श्री रंगनाथ मिश्रा	22.03.1998	शाहडोल

पदनाम – लैब–असिस्टेन्ट, श्रेणी – दिव्यांग

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता
01	नीरज कुमार त्रिपाठी	श्री राम सुरेश त्रिपाठी	29.05.1985	रीवा

निरंतर–––2

पदनाम – एक्स–रे टेक्नीशियन, श्रेणी – अनुसूचित जनजाति

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता
01	विजेन्द्र सिंह रावत	श्री मधु सिंह रावत	15.04.1982	भोपाल

पदनाम – एक्स–रे टेक्नीशियन, श्रेणी – अन्य पिछड़ा वर्ग

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता
01	अवनीश यादव	श्री अनिल कुमार यावद	18.06.1999	रीवा

पदनाम – एक्स–रे टेक्नीशियन, श्रेणी – अनारक्षित

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता
01	आशुतोष मिश्रा	श्री इन्द्रसेन मिश्रा	08.08.1991	रीवा
02	शबाना खान	श्री अतहर खान	22.05.1998	भोपाल

पदनाम – लैब–टेक्नीशियन, श्रेणी – अनारक्षित

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता
01	शालिनी विधानी	श्री नारायण दास	30.06.1999	भोपाल

पदनाम – ओ.टी. टेक्नीशियन, श्रेणी – अन्य पिछड़ा वर्ग

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता
01	बाबूस्सलाम	श्री मुख्तार अहमद अंसारी	01.09.1982	जबलपुर

पदनाम – ओ.टी. टेक्नीशियन, श्रेणी – अनारक्षित

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता
01	पंकज डामोर	श्री गंगा राम डामोर	02.08.1989	झाबूआ
02	बालेन्द्र द्विवेदी	श्री राम नरेश शर्मा	25.01.1986	भोपाल

नियुक्ति की शर्तें:–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, यह नियुक्ति मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 (सह चिकित्सकीय संवर्ग) के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी।
2. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तो के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तो मे आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
3. उक्त नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/– प्रतिमाह पर की जाती है।
4. तीन माह पश्चात पैरामेडिकल स्टाफ की कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक सी.3–13/2019/3/एक भोपाल दिनॉक 12–12–2019 के बिन्दु (v) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 8 (1)के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
5. चयनित प्रत्याशी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा की पुष्टि मध्यप्रदेश पैरामेडिकल कौंसिल, भोपाल द्वारा कराई जावेगी यह नियुक्ति इस सशर्त पर प्रदान की जाती हैं, कि यदि कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
6. पैरामेडिकल स्टाफ को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रातिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तो का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।
7. चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
8. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।

निरंतर——3

9. चिकित्सा महाविद्यालय के संविलियन एवं संवर्धन नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
10. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक–एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ–7–2/96/आप्र/1 दिनांक 01.08.96 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
12. चयनित प्रत्याशी को आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी। नियुक्ति में पेंशन,उपादान एवं तत्संबंधी अन्य किसी प्रकार के लाभ देय नहीं होंगे।
13. चयनित प्रत्याशी की सेवाऐ किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज मे एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति एक माह तक का नोटिस देकर या उसके एवज मे एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा। भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्तो के अन्तर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यकित से भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
14. चयनित प्रत्याशी म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होंगे। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि मे भाग लेने की अनुमति नही होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
15. नियुक्ति व्यक्ति को 100/– रूपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
16. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
17. नियुक्ति व्यक्ति को उपस्थित के समय–पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
19. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती हे तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।
20. चयनित उम्मीदवारो को छः माह के अंदर कम्प्युटर मे Window Basic एवं Microsoft Office का ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है एवं आपको कंम्प्युटर पर कार्य करने की दक्षता दर्शानी होगी।
21. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरांत रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
22. चयनित उम्मीदवार बिना पूर्व स्वीकृति के छुटिटयो पर न जा सकेगा।
23. चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुऐ किसी अन्य संस्था मे रोजगार के लिये सीधे आवेदन नही दे सकते है।
24. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होगे ।
25. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–9/3/2005/नियम/चार दिनॉक 2–4–2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नही होगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र एफ–5/1/2005/नियम/चार दिनॉक 2–4–2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नही होगे।
26. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तेद्ध नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमे प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
27. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

निरंतर——4

पृ.क्रमांक 32345-76/एम.सी/अराज/5/21 भोपाल, दिनांक 30/09/2021

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सभांगायुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला भोपाल।
7. प्रभारी अधिकारी, अराजपत्रित शाखा क्रमांक–5, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशानुसार प्रमाण पत्रों की जॉच उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये तथा उपस्थिति की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
9. कु/श्रीमती/श्री ....पदनाम..
   गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10. आदेश नस्ति /व्यक्तिगत नस्ति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल